20/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अतिरिक्त किश्त 10/12/25 के अनुसरण वकील प्रार्थी को शेष अभ्यर्थियों पर समय के लिए सरि/सीए तलबी कार्यवाही जानी थी परन्तु लम्बित व्यवहार के अधिक समय व्यतीत होने के कारण भी प्रार्थी द्वारा शेष अभ्यर्थियों के समय के लिए सरि/सीए तलबी पेश नहीं की गयी। अतः इस प्रार्थी सरि/तलबी हेतु डाक खर्चा देने में विफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यतिक्रम खर्चा के साथ पेश नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली को नियमानुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्णय सुनाया जाता है।

सहायक कलक्टर
जयपुर सदर प्रथम